

प्रेस नोट दिनांक 17.11.2024, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम की मदद से चोरी की 02 मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

-चोरी की 02 मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त राजकिरण मौर्या थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित था-

-थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ATL मैदान के सामने से किया गया गिरफ्तार-

-अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट, चोरी के अभियोगों में सलिस थे-

-दिनांक 28/11/2023 को सुपर स्पेलंडर को घर के बाहर से किसी ने चोरी कर लिया है। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 362/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है-

-दिनांक 16/11/24 को भुपियामऊ चौराहे पर काम से आया था। जहां पुल के नीचे अपनी मोटर साइकिल हीरो स्ट्रीम लाल को खड़ी कर नाश्ता करने गया था। वापस आया तो वहां मोटर साइकिल नहीं मिली। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 363/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है-

प्रतापगढ़-

दिनांक 19.11.2024 को प्रार्थी पुनित कुमार पुत्र मेवा लाल केसरवानी निवासी ग्राम पूरे खुशई, मोहनगंज थाना को0 देहात द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थनी पत्र दिया है। दिनांक 28/11/2023 को सुपर स्पेलंडर को घर के बाहर से किसी ने चोरी कर लिया है। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 362/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 20.11.2024 को प्रार्थी मो0 उजैफ पुत्र मो0 मन्सूर निवासी कजियाना कला थाना मऊआयमा प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया है। दिनांक 16/11/24 को भुपियामऊ चौराहे पर काम से आया था। जहां पुल के नीचे अपनी मोटर साइकिल हीरो स्ट्रीम लाल को खड़ी कर नाश्ता करने गया था। वापस आया तो वहां मोटर साइकिल नहीं मिली। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 363/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिस अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में दि0-20.11.2024 को उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय, कां0 हरदीप कुमार, का0 कमलेश कुमार, का0 विजय वघेल, का0 आशुतोष तिवारी द्वारा मय स्वाट टीम- का0 अनुपम पाखरे, का0 संजय सिंह व सर्विलांस टीम- मु0आ0 पंकज दुबे, का0 प्रवीण कुमार, का0 सनोज कुमार के सहयोग से, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात के थाना कोतवाली देहात में *मु0अ0सं0 362/2024 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 363/2024 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 1. राजकिरण मौर्या उर्फ अक्षय मौर्या सुत लाल बहादुर मौर्या उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खदेरुआपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 2. मो0 आसब सुत गामा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चक फतेह अली शाह थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ को चोरी की 02 मोटर साइकिल के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ATL मैदान के सामने से किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त राजकिरण मौर्या उपरोक्त मु0अ0सं0 624 / 24 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त था।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त राजकिरण मौर्या द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरा एक साथी ATL कलोनी के खंडहर के पास मेरा एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ इंतजार कर रहा है। वहीं पर मैं इस गाड़ी को लेकर जा रहा था। फिर हम दोनों लोग मोटरसाइकिल को बेचने फिराक में थे। पकड़े गए व्यक्ति के द्वारा बताए गए स्थान ATL मैदान के पास पहुंचे तो दूसरा मोटर साइकिल पर बैठा मिला। उक्त व्यक्ति ने बताया कि हम लोगों ने यह मोटर साइकिल भुपियामऊ पुल के नीचे से चोरी किया था। जिसे हम लोग बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजकिरण मौर्या उर्फ अक्षय मौर्या सुत लाल बहादुर मौर्या उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खदेरुआपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
2. मो0 आसब सुत गामा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चक फतेह अली शाह थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

राजकिरण मौर्या उर्फ अक्षय मौर्या सुत लाल बहादुर मौर्या निवासी ग्राम खदेरुआपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 832/2023 धारा 379/411 भादंवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 664/2020 धारा 380/411 भादंवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-624/2024 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना को0 नगर प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-601/2019 धारा 380/411 भादंवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 362/24 धारा 379 भादंवि व 317(2)/317(4) बीएनएस थाना को0 देहात प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 363/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) BNS थाना को0 देहात प्रतापगढ़।

मो0 आसब सुत गामा निवासी ग्राम चकफतेह अली शाह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 1082/2022 धारा 380/411/457 भादंवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 362/24 धारा 379 भादंवि व 317(2)/317(4) बीएनएस थाना को0 देहात प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 363/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) BNS थाना को0 देहात प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01- अलग- अलग अभियोग से संबंधित चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

01. उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय, कां0 हरदीप कुमार, कां0 कमलेश कुमार, कां0 विजय वघेल, कां0 आशुतोष तिवारी थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।
02. स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम- कां0 अनुपम पाखरे, कां0 संजय सिंह, मु0आ0 पंकज दुबे, कां0 प्रवीण कुमार, कां0 सनोज कुमार।

लूट के अभियोग से संबंधित 1 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

-अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त-

-थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सराय भीमसेन बरईपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है-

-वादी ने दिनांक 27.02.2016 को वादी के साथ लूट होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

वादी ने दिनांक 27.02.2016 को वादी के साथ लूट होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 102/20216 धारा 394 भादवि बनाम 04 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अरुण कुमार मौर्य मय हमराह हे0 का0 लक्ष्मण यादव व हे0 का0 राम आसरे द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, पेण्डिंग विवेचना, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 102/2016 धारा 394 भा0द0वि0 से संबंधित 01 अभियुक्त रिजवान उर्फ नफीस पुत्र रईस निवासी नरहर पट्टी थाना देल्हूपुर पूर्व थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत सराय भीमसेन बरईपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रिजवान उर्फ नफीस पुत्र रईस निवासी नरहर पट्टी थाना देल्हूपुर पूर्व थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रिजवान उर्फ नफीस पुत्र रईस निवासी नरहर पट्टी थाना देल्हूपुर पूर्व थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 898/2020 धारा 147,148,149,307,504,323, भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 970/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 164/2015 धारा 307 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 136/2015 धारा 307, 507 भादवि थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अरुण कुमार मौर्य मय हमराह हे0 का0 लक्ष्मण यादव व हे0 का0 राम आसरे थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

थाना अंतू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के उ0नि0 राकेश चौरसिया हमराह का0 संदीप यादव देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 2121/2000 अ0सं0189/93 धारा332,504,506,427, भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राम कृपाल पुत्र राम सुधर ओझा नि0 ग्रा0 शिवराज पुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 62 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. राम कृपाल पुत्र राम सुधर ओझा नि0 ग्रा0 शिवराज पुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 62 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राकेश चौरसिया हमराह का0 संदीप यादव थाना अंतू, जनपद- प्रतापगढ़।